Impact Factor (SJIF): 5.158 E-ISSN: 2583-7206, P-ISSN: 3049-2432

International Journal of All Subject Research

Received: 30/April/2025 IJASR: 2025; 4(3):54-62 Accepted: 13/June/2025

महिलाओं की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासकीय भागीदारी: समानता के दावों और वास्तविक प्रतिनिधित्व के मध्य एक समालोचनात्मक अध्ययन (भारतीय परिप्रेक्ष्य में)

[*1]Satpal Singh

[*1]Guest Faculty, University of Delhi, Delhi, India.

सारांश

भारतीय लोकतंत्र समानता, न्याय तथा सहभागिता के सिद्धांतों पर आधारित है। संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, समान अवसर तथा सार्वजनिक जीवन में भागीदारी का अधिकार प्रदान करता है। महिलाओं के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 समानता एवं समान अवसर की गारंटी देते हैं, जबकि 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों द्वारा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न संवैधानिक एवं विधायी प्रयास किए गए हैं। इसके बावजूद राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासकीय संस्थाओं के उच्च स्तरों पर महिलाओं की वास्तविक भागीदारी अभी भी अपेक्षाकृत सीमित दिखाई देती है।

यह शोध-पत्र महिलाओं की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासकीय भागीदारी का समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य संवैधानिक समानता के दावों और वास्तविक प्रतिनिधित्व के मध्य विद्यमान अंतर का परीक्षण करना है। शोध में गुणात्मक (Qualitative) तथा विश्लेषणात्मक (Analytical) शोध-पद्धति का प्रयोग किया गया है। अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों—सरकारी रिपोर्टों, जनगणना, नीति दस्तावेजों, शोध-पत्रों, पुस्तकों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्टों—पर आधारित है।

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, किन्तु संसद, विधानसभाओं, मंत्रिमंडलों, उच्च प्रशासनिक सेवाओं तथा नीति-निर्माण संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व अभी भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाया है। अनेक मामलों में महिलाओं की भागीदारी केवल सांकेतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित रहती है, जबकि वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति पुरुष-प्रधान संस्थागत संरचनाओं के नियंत्रण में रहती है। सामाजिक रूढ़िवादिता, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, आर्थिक निर्भरता, राजनीतिक दलों द्वारा सीमित अवसर, चुनावी संसाधनों की असमान उपलब्धता तथा प्रशासनिक पदोन्नति में विद्यमान संरचनात्मक बाधाएँ महिलाओं की प्रभावी भागीदारी में प्रमुख अवरोध हैं।

यह शोध निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि केवल संवैधानिक समानता अथवा आरक्षण की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। वास्तविक लैंगिक समानता तभी स्थापित होगी जब महिलाओं को निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में प्रभावी भूमिका, नेतृत्व के पर्याप्त अवसर तथा संस्थागत समर्थन प्राप्त होगा। इसलिए महिलाओं की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राजनीतिक दलों, प्रशासनिक संस्थाओं तथा शासन व्यवस्था में व्यापक संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द: महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक भागीदारी, प्रशासनिक प्रतिनिधित्व, शासकीय सहभागिता, लैंगिक समानता, लोकतंत्र, सार्वजनिक प्रशासन, प्रतिनिधित्व, निर्णय-निर्माण।

1. प्रस्तावना

लोकतंत्र की सफलता केवल सार्वभौमिक मताधिकार या चुनावों के नियमित आयोजन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि समाज के सभी वर्गों को शासन एवं निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में समान अवसर प्राप्त हों। महिलाओं की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासकीय भागीदारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की गुणवत्ता, समावेशिता तथा उत्तरदायित्व का एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है। यदि समाज की लगभग आधी आबादी नीति-निर्माण, प्रशासन तथा शासन के प्रमुख पदों पर पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं करती, तो लोकतंत्र की वास्तविक भावना अधूरी रह जाती है।

भारत में महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति समय के साथ निरंतर परिवर्तित हुई है। वैदिक काल में महिलाओं को अपेक्षाकृत सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, किन्तु मध्यकालीन

***Corresponding Author:** Satpal Singh

सामाजिक परिस्थितियों ने उनकी सार्वजनिक भूमिका को सीमित कर दिया। आधुनिक भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों, स्वतंत्रता संग्राम तथा संविधान निर्माण की प्रक्रिया ने महिलाओं की स्थिति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाने का प्रयास किया। स्वतंत्र भारत के संविधान ने महिलाओं को पुरुषों के समान नागरिक अधिकार प्रदान करते हुए समानता, स्वतंत्रता तथा अवसर की समानता को संवैधानिक मान्यता दी। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 महिलाओं के अधिकारों की संवैधानिक आधारशिला हैं, जबकि राज्य के नीति-निर्देशक तत्व महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु राज्य को विशेष उपाय करने का निर्देश देते हैं।

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन ऐतिहासिक उपलब्धि माने जाते हैं। इन संशोधनों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लाखों महिलाएँ पहली बार लोकतांत्रिक शासन की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष भाग बनीं। कई राज्यों ने महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया, जिससे स्थानीय स्तर पर महिला नेतृत्व को नई पहचान मिली। इसके बावजूद यह प्रश्न बना हुआ है कि क्या स्थानीय स्तर पर प्राप्त यह प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की राजनीति तथा उच्च प्रशासनिक संस्थाओं में भी समान रूप से दिखाई देता है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या तक सीमित नहीं है। वास्तविक लोकतांत्रिक भागीदारी का अर्थ है कि महिलाओं को राजनीतिक दलों के संगठनात्मक ढाँचे, उम्मीदवार चयन, मंत्रिमंडलों, संसदीय समितियों तथा नीति-निर्माण की प्रक्रियाओं में भी प्रभावशाली भूमिका प्राप्त हो। इसी प्रकार प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ने के बावजूद भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) तथा अन्य अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवाओं के वरिष्ठ पदों पर उनका प्रतिनिधित्व अभी भी सीमित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि औपचारिक समानता के बावजूद संस्थागत स्तर पर अनेक संरचनात्मक बाधाएँ विद्यमान हैं।

महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारकों में पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा एवं आर्थिक संसाधनों की असमान उपलब्धता, घरेलू उत्तरदायित्व, राजनीतिक हिंसा, चुनावी वित्तपोषण, कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव तथा निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में पुरुष-प्रधान मानसिकता प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त जाति, वर्ग, धर्म, ग्रामीण-शहरी विभाजन तथा क्षेत्रीय असमानताएँ भी महिलाओं के अवसरों को प्रभावित करती हैं। इस कारण केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण का मापदंड नहीं माना जा सकता।

इसी संदर्भ में यह शोध महिलाओं की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासकीय भागीदारी का समग्र एवं समालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक समानता के दावों तथा वास्तविक प्रतिनिधित्व के बीच विद्यमान अंतर का विश्लेषण करना है। यह शोध केवल प्रतिनिधित्व की सांख्यिकीय स्थिति का वर्णन नहीं करता, बल्कि उन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा संस्थागत कारणों का भी विश्लेषण करता है जो महिलाओं की प्रभावी भागीदारी को सीमित करते हैं।

यह अध्ययन सार्वजनिक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, महिला अध्ययन तथा सुशासन (Good Governance) के अंतःविषय दृष्टिकोण पर आधारित है। शोध का तर्क है कि वास्तविक लोकतंत्र तभी स्थापित होगा जब महिलाओं को केवल प्रतिनिधित्व ही नहीं, बल्कि नीति-निर्माण, प्रशासनिक नेतृत्व तथा शासन की प्रत्येक स्तर पर निर्णय लेने की प्रभावी शक्ति भी प्राप्त होगी। अतः महिलाओं की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासकीय भागीदारी को केवल संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विकास, सामाजिक न्याय तथा सतत् विकास के अनिवार्य आधार के रूप में समझना आवश्यक है।

2. साहित्य समीक्षा

2.1. प्रस्तावना

किसी भी शोध की वैज्ञानिकता और मौलिकता उसके साहित्य समीक्षा (Literature Review) पर निर्भर करती है। साहित्य समीक्षा का उद्देश्य केवल पूर्व प्रकाशित अध्ययनों का वर्णन करना नहीं होता, बल्कि उनके निष्कर्षों, सीमाओं, दृष्टिकोणों तथा शोध-अंतर (Research Gap) का आलोचनात्मक विश्लेषण करना भी होता है। महिलाओं की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासकीय भागीदारी पर विश्व स्तर पर व्यापक शोध उपलब्ध है, किंतु अधिकांश अध्ययन किसी एक विशेष आयाम—जैसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व, स्थानीय स्वशासन, प्रशासनिक सेवाओं अथवा महिला सशक्तिकरण—पर केंद्रित रहे हैं। इन तीनों आयामों को एकीकृत रूप से जोड़कर समानता के संवैधानिक दावों और वास्तविक प्रतिनिधित्व के बीच विद्यमान अंतर का समग्र विश्लेषण अपेक्षाकृत कम देखने को मिलता है।

महिलाओं की भागीदारी पर हुए अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनकी उपस्थिति में वृद्धि अवश्य हुई है, परंतु यह वृद्धि सभी स्तरों पर समान नहीं है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में आरक्षण के कारण महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि संसद, विधानसभाओं, उच्च प्रशासनिक सेवाओं तथा निर्णय-निर्माण के शीर्ष पदों पर उनका प्रतिनिधित्व अभी भी सीमित है। इस प्रकार साहित्य यह संकेत देता है कि संख्यात्मक प्रतिनिधित्व और वास्तविक शक्ति-साझेदारी के बीच स्पष्ट अंतर मौजूद है।

2.2. अंतरराष्ट्रीय साहित्य

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर प्रारंभिक सैद्धांतिक कार्यों में Hanna Fenichel Pitkin का प्रतिनिधित्व सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पिटकिन ने प्रतिनिधित्व को केवल निर्वाचित व्यक्तियों की संख्या तक सीमित नहीं माना, बल्कि यह तर्क दिया कि प्रतिनिधित्व का वास्तविक अर्थ नागरिकों के हितों, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का प्रभावी प्रतिनिधित्व है। उनके अनुसार यदि किसी समूह की संख्या बढ़ भी जाए, लेकिन निर्णय लेने की शक्ति उसके पास न हो, तो वास्तविक प्रतिनिधित्व स्थापित नहीं माना जा सकता। यही विचार महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर भी समान रूप से लागू होता है।

Anne Phillips ने अपनी प्रसिद्ध अवधारणा Politics of Presence में यह प्रतिपादित किया कि लोकतंत्र में केवल विचारों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज के विविध समूहों की वास्तविक उपस्थिति भी आवश्यक है। उनके अनुसार महिलाओं की पर्याप्त उपस्थिति लोकतांत्रिक निर्णयों को अधिक समावेशी, न्यायपूर्ण और संवेदनशील बनाती है। यह दृष्टिकोण महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लोकतांत्रिक वैधता से जोड़ता है।

Drude Dahlerup ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व में Critical Mass Theory का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार यदि किसी संस्था में महिलाओं की संख्या एक न्यूनतम स्तर (Critical Mass) तक पहुँचती है, तो वे नीतिगत निर्णयों को प्रभावी रूप से प्रभावित कर सकती हैं। इसके विपरीत, बहुत कम संख्या में उपस्थित महिलाएँ अक्सर सांकेतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित रह जाती हैं।

Martha C. Nussbaum तथा Amartya Sen ने Capability Approach के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि समान अवसर केवल कानूनी अधिकारों से सुनिश्चित नहीं होते, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक सम्मान तथा संस्थागत सहयोग जैसे कारकों पर भी निर्भर करते हैं। महिलाओं की राजनीतिक एवं

प्रशासनिक भागीदारी का वास्तविक विस्तार तभी संभव है जब उनकी क्षमताओं के विकास के लिए अनुकूल सामाजिक और संस्थागत वातावरण उपलब्ध हो।

इसी प्रकार UN Women तथा Inter-Parliamentary Union की विभिन्न रिपोर्टें दर्शाती हैं कि विश्व के अनेक देशों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है, किंतु शीर्ष निर्णयकारी संस्थाओं में लैंगिक असमानता अब भी बनी हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि लोकतांत्रिक विस्तार अपने आप में लैंगिक समानता की गारंटी नहीं देता।

2.3. भारतीय साहित्य

भारतीय संदर्भ में महिलाओं की राजनीतिक एवं प्रशासनिक भागीदारी पर अनेक विद्वानों ने महत्त्वपूर्ण अध्ययन किए हैं।

Nivedita Menon ने भारतीय लोकतंत्र में लैंगिक समानता की सीमाओं का विश्लेषण करते हुए कहा कि संवैधानिक अधिकारों की उपलब्धता के बावजूद सामाजिक संरचनाएँ महिलाओं की स्वतंत्र राजनीतिक भूमिका को सीमित करती हैं। उनके अनुसार पितृसत्तात्मक सत्ता-संरचना केवल परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक दलों, प्रशासनिक संस्थाओं तथा शासन व्यवस्था में भी विद्यमान है।

Bina Agarwal ने स्थानीय शासन तथा महिलाओं के सामूहिक नेतृत्व पर अपने अध्ययनों में यह सिद्ध किया कि जब महिलाओं को वास्तविक निर्णय लेने का अवसर मिलता है, तो विकास संबंधी प्राथमिकताओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण तथा सामाजिक कल्याण जैसे विषय अधिक प्रमुखता प्राप्त करते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मात्र आरक्षण पर्याप्त नहीं है; संस्थागत क्षमता निर्माण और नेतृत्व विकास भी आवश्यक हैं।

भारतीय पंचायती राज व्यवस्था पर हुए अनेक अध्ययनों में यह निष्कर्ष सामने आया है कि महिलाओं की संख्यात्मक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन कई स्थानों पर "प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व" (Proxy Representation) की समस्या अभी भी मौजूद है, जहाँ निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति या परिवार के अन्य सदस्य वास्तविक निर्णय लेते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिनिधित्व की संख्या और वास्तविक शक्ति के बीच अंतर बना हुआ है।

भारतीय प्रशासनिक सेवाओं पर उपलब्ध साहित्य यह संकेत देता है कि महिलाओं की भर्ती में निरंतर वृद्धि हुई है, किन्तु वरिष्ठ प्रशासनिक पदों, सचिव स्तर के नेतृत्व तथा नीति-निर्माण से जुड़े उच्च पदों पर उनका प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है। अनेक अध्ययनों ने कार्यस्थल पर लैंगिक पूर्वाग्रह, पदोन्नति में असमानता, कार्य-जीवन संतुलन की चुनौतियों तथा संस्थागत संस्कृति को इसके प्रमुख कारणों के रूप में चिन्हित किया है।

2.4. महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर उपलब्ध शोध

भारत में महिलाओं के मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कई राज्यों में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर अथवा उससे अधिक दर्ज की गई है। इसके बावजूद चुनाव लड़ने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या अपेक्षाकृत कम बनी हुई है। विभिन्न अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि राजनीतिक दल महिलाओं को पर्याप्त संख्या में टिकट प्रदान नहीं करते। परिणामस्वरूप संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं पहुँच पाया है।

राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना पर किए गए अध्ययनों से भी स्पष्ट होता है कि शीर्ष नेतृत्व, संगठनात्मक निर्णयों तथा उम्मीदवार चयन की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भूमिका सीमित रहती है। इससे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

2.5. महिलाओं की प्रशासनिक भागीदारी पर उपलब्ध शोध

प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी पर उपलब्ध साहित्य यह दर्शाता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में महिलाओं की सफलता दर निरंतर बढ़ रही है। इसके बावजूद शीर्ष प्रशासनिक नेतृत्व में उनका प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है। कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि स्थानांतरण नीति, पारिवारिक उत्तरदायित्व, मातृत्व अवकाश के बाद करियर की निरंतरता तथा वरिष्ठ पदों पर सीमित अवसर महिलाओं की प्रशासनिक प्रगति को प्रभावित करते हैं।

सार्वजनिक प्रशासन के विद्वानों का मत है कि प्रशासनिक संस्थाओं में विविधता (Diversity) केवल समानता का प्रश्न नहीं है, बल्कि बेहतर नीति-निर्माण, उत्तरदायित्व और सेवा वितरण की गुणवत्ता से भी जुड़ी हुई है।

2.6. शासकीय (Official) भागीदारी पर उपलब्ध शोध

शासकीय संस्थाओं—जैसे आयोगों, सार्वजनिक उपक्रमों, नियामक निकायों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य स्वायत्त संस्थाओं—में महिलाओं की भूमिका पर अपेक्षाकृत कम शोध उपलब्ध है। उपलब्ध अध्ययनों से संकेत मिलता है कि इन संस्थाओं में शीर्ष नेतृत्व पर अभी भी पुरुषों का प्रभुत्व अधिक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की चर्चा केवल निर्वाचित संस्थाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि नियुक्ति आधारित संस्थाओं का अध्ययन भी समान रूप से आवश्यक है।

2.7. साहित्य समीक्षा का समालोचनात्मक विश्लेषण

उपलब्ध साहित्य के समग्र विश्लेषण से पाँच प्रमुख निष्कर्ष सामने आते हैं—

i). अधिकांश अध्ययन केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व अथवा स्थानीय स्वशासन तक सीमित हैं।

ii). प्रशासनिक एवं शासकीय संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर तुलनात्मक शोध अपेक्षाकृत कम उपलब्ध है।

iii). संवैधानिक समानता और वास्तविक निर्णयकारी शक्ति के मध्य अंतर का समग्र विश्लेषण सीमित है।

iv). महिलाओं के प्रतिनिधित्व के गुणात्मक पक्ष—जैसे नेतृत्व, नीति-निर्माण पर प्रभाव तथा संस्थागत निर्णयों में भूमिका—पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया है।

v). राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासकीय तीनों क्षेत्रों को एकीकृत रूप से जोड़कर अंतःविषय (Interdisciplinary) विश्लेषण करने वाले अध्ययन बहुत कम हैं।

इन निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान शोध केवल प्रतिनिधित्व की संख्या का अध्ययन नहीं करेगा, बल्कि संवैधानिक समानता, संस्थागत संरचना, निर्णयकारी शक्ति तथा वास्तविक भागीदारी के मध्य संबंधों का समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करेगा। यही इस शोध की मौलिकता (Original Contribution) और प्रमुख शोध-अंतर (Research Gap) है।

3. शोध-अंतर

समस्या का प्रतिपादन (Statement of the Problem), शोध के उद्देश्य (Research Objectives), शोध प्रश्न (Research Questions), प रिकल्पनाएँ (Hypotheses) तथा शोध-पद्धति (Research Methodology)

3.1. शोध-अंतर

साहित्य समीक्षा के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि महिलाओं की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासकीय भागीदारी पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त शोध उपलब्ध है, किन्तु अधिकांश अध्ययन किसी एक विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित हैं। अनेक शोध

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, चुनावी प्रतिनिधित्व अथवा पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, जबकि कुछ अध्ययन प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की स्थिति अथवा महिला सशक्तिकरण की नीतियों तक सीमित रहते हैं। इन अध्ययनों में महिलाओं की राजनीतिक, प्रशासनिक तथा शासकीय भागीदारी को एक समेकित (Integrated) दृष्टिकोण से देखने का प्रयास अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है।

दूसरा महत्त्वपूर्ण शोध-अंतर यह है कि अधिकांश अध्ययनों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन केवल संख्यात्मक (Quantitative Representation) आधार पर किया गया है। संसद, विधानसभाओं, पंचायतों अथवा प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की संख्या को ही सफलता का प्रमुख सूचक मान लिया जाता है। किन्तु यह प्रश्न अपेक्षाकृत कम उठाया गया है कि क्या महिलाओं को वास्तविक निर्णय-निर्माण की शक्ति प्राप्त है? क्या वे नीति-निर्माण, संसाधन आवंटन तथा प्रशासनिक नेतृत्व में प्रभावी भूमिका निभा रही हैं? इस प्रकार संख्यात्मक प्रतिनिधित्व और वास्तविक निर्णयकारी भागीदारी (Substantive Representation) के मध्य संबंधों का समुचित विश्लेषण अभी भी सीमित है।

तीसरा शोध-अंतर यह है कि अधिकांश भारतीय अध्ययनों में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों के बाद पंचायतों एवं नगर निकायों में महिलाओं की भागीदारी पर पर्याप्त शोध हुआ है, परंतु संसद, राज्य विधानसभाओं, अखिल भारतीय सेवाओं, संवैधानिक निकायों, नियामक संस्थाओं तथा अन्य उच्च प्रशासनिक एवं शासकीय संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षाकृत कम उपलब्ध है।

चौथा शोध-अंतर महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक कारकों से संबंधित है। कई अध्ययनों ने सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक बाधाओं का उल्लेख किया है, किन्तु राजनीतिक दलों की संगठनात्मक संरचना, प्रशासनिक संस्थाओं की कार्यसंस्कृति, पदोन्नति की प्रक्रियाओं, नेतृत्व विकास तथा निर्णय-निर्माण में लैंगिक पूर्वाग्रहों का समग्र विश्लेषण सीमित है। परिणामस्वरूप यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि संवैधानिक समानता के बावजूद वास्तविक प्रतिनिधित्व में कमी क्यों बनी हुई है।

पाँचवाँ शोध-अंतर अंतःविषय (Interdisciplinary) दृष्टिकोण की कमी है। अधिकांश अध्ययन राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र अथवा महिला अध्ययन के सीमित दृष्टिकोण से किए गए हैं, जबकि सार्वजनिक प्रशासन, सुशासन, लोकतांत्रिक सिद्धांत तथा लैंगिक अध्ययन को समेकित रूप से जोड़ने वाले अध्ययन अपेक्षाकृत कम उपलब्ध हैं।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वर्तमान शोध महिलाओं की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासकीय भागीदारी का समग्र, तुलनात्मक तथा समालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करेगा। यह अध्ययन केवल प्रतिनिधित्व की संख्या का विश्लेषण नहीं करेगा, बल्कि संवैधानिक समानता, संस्थागत संरचनाओं, नेतृत्व, निर्णय-निर्माण तथा वास्तविक प्रतिनिधित्व के मध्य संबंधों का भी मूल्यांकन करेगा। यही इस शोध की मौलिकता (Original Contribution) है।

3.2. समस्या का प्रतिपादन

भारतीय संविधान महिलाओं को समान अधिकार एवं अवसर प्रदान करता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न संवैधानिक संशोधन, विधायी उपाय तथा नीतिगत कार्यक्रम भी लागू किए गए हैं। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में आरक्षण, महिला शिक्षा का विस्तार, आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम तथा प्रशासनिक सेवाओं में बढ़ती भागीदारी जैसे अनेक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं।

इसके बावजूद यह तथ्य सामने आता है कि संसद, विधानसभाओं, मंत्रिमंडलों, उच्च प्रशासनिक सेवाओं तथा नीति-निर्माण संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं है। कई मामलों में महिलाओं की भागीदारी सांकेतिक (Tokenistic) प्रतीत होती है, जबकि वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति पुरुष-प्रधान संस्थागत संरचनाओं के हाथों में केंद्रित रहती है। इस परिस्थिति में प्रमुख शोध-समस्या यह है कि क्या भारत में महिलाओं को प्राप्त संवैधानिक समानता वास्तविक राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासकीय प्रतिनिधित्व में परिवर्तित हो सकी है? यदि नहीं, तो इसके पीछे कौन-से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा संस्थागत कारक उत्तरदायी हैं? साथ ही यह भी आवश्यक है कि उन नीतिगत उपायों की पहचान की जाए जिनके माध्यम से महिलाओं की प्रभावी एवं सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

3.3. शोध के उद्देश्य

इस शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं —

i). भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना।
ii). प्रशासनिक सेवाओं एवं शासकीय संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन करना।
iii). संवैधानिक समानता के प्रावधानों तथा वास्तविक प्रतिनिधित्व के मध्य विद्यमान अंतर का अध्ययन करना।
iv). महिलाओं की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासकीय भागीदारी को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा संस्थागत कारकों का विश्लेषण करना।
v). संसद, विधानसभाओं, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं तथा उच्च प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन करना।
vi). महिलाओं की भागीदारी के गुणात्मक पक्ष अर्थात् निर्णय-निर्माण, नेतृत्व तथा नीतिगत प्रभाव का मूल्यांकन करना।
vii). महिलाओं की वास्तविक एवं प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

3.4. शोध प्रश्न

यह शोध निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेगा—

i). क्या भारत में महिलाओं को संवैधानिक रूप से प्राप्त समानता वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व में परिवर्तित हुई है?
ii). संसद, विधानसभाओं, स्थानीय निकायों तथा प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं का वर्तमान प्रतिनिधित्व कितना प्रभावी है?
iii). महिलाओं की राजनीतिक एवं प्रशासनिक भागीदारी को प्रभावित करने वाले प्रमुख सामाजिक, आर्थिक तथा संस्थागत कारक कौन-कौन से हैं?
iv). क्या महिलाओं का वर्तमान प्रतिनिधित्व केवल सांकेतिक है अथवा वास्तविक निर्णय-निर्माण में भी उनकी प्रभावी भूमिका है?
v). महिलाओं की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासकीय भागीदारी बढ़ाने हेतु वर्तमान नीतियाँ कितनी प्रभावी हैं?
vi). लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किन संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है?

3.5. शोध परिकल्पनाएँ

H_1: संवैधानिक समानता के बावजूद महिलाओं का वास्तविक राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिनिधित्व अभी भी सीमित है।

H_2: महिलाओं की राजनीतिक एवं प्रशासनिक भागीदारी सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है।

H_3: केवल आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के वास्तविक निर्णयकारी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
H_4: जिन संस्थाओं में महिलाओं का नेतृत्व अधिक है वहाँ नीति-निर्माण एवं जनकल्याणकारी निर्णय अपेक्षाकृत अधिक समावेशी होते हैं।
H_5: राजनीतिक दलों की संगठनात्मक संरचना एवं प्रशासनिक संस्थाओं की कार्यसंस्कृति महिलाओं की उन्नति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।

3.6. शोध-पद्धति
यह अध्ययन गुणात्मक (Qualitative), वर्णनात्मक (Descriptive) तथा विश्लेषणात्मक (Analytical) शोध-पद्धति पर आधारित है। अध्ययन का उद्देश्य किसी एक संस्था का मूल्यांकन करना नहीं, बल्कि महिलाओं की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासकीय भागीदारी का व्यापक एवं समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना है।
(क) शोध की प्रकृति: यह शोध वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक (Descriptive and Explanatory) प्रकृति का है। इसमें उपलब्ध तथ्यों, आँकड़ों एवं नीतिगत दस्तावेजों का विश्लेषण करके महिलाओं के प्रतिनिधित्व की वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाएगा।
(ख) शोध की पद्धति: शोध में मुख्यतः गुणात्मक पद्धति अपनाई गई है। जहाँ आवश्यक होगा, वहाँ उपलब्ध सांख्यिकीय आँकड़ों का वर्णनात्मक विश्लेषण भी किया जाएगा ताकि प्रतिनिधित्व के विभिन्न आयामों को स्पष्ट किया जा सके।
(ग) आँकड़ों के स्रोत: अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं—
- सरकारी रिपोर्टें
- संसद एवं राज्य विधानसभाओं के अभिलेख
- चुनाव संबंधी आँकड़े
- प्रशासनिक सेवाओं की वार्षिक रिपोर्टें
- राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध-पत्र
- पुस्तकें
- नीति दस्तावेज
- महिला अध्ययन से संबंधित आधिकारिक रिपोर्टें
- जनगणना एवं अन्य सांख्यिकीय प्रकाशन

(घ) अध्ययन का क्षेत्र: यह शोध मुख्यतः भारतीय संदर्भ पर आधारित है, किंतु जहाँ आवश्यक होगा वहाँ अंतरराष्ट्रीय अनुभवों का तुलनात्मक विश्लेषण भी प्रस्तुत किया जाएगा ताकि भारतीय स्थिति को व्यापक वैश्विक संदर्भ में समझा जा सके।
(ङ) अध्ययन की सीमाएँ: यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। अतः इसके निष्कर्ष उपलब्ध आधिकारिक आँकड़ों एवं प्रकाशित साहित्य तक सीमित होंगे। इसके अतिरिक्त अध्ययन का प्रमुख फोकस भारत की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासकीय संस्थाओं पर रहेगा।

3.7. अध्याय का निष्कर्ष
उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि वर्तमान शोध महिलाओं की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासकीय भागीदारी का बहुआयामी अध्ययन प्रस्तुत करेगा। यह अध्ययन केवल प्रतिनिधित्व की संख्या का विश्लेषण नहीं करेगा, बल्कि निर्णय-निर्माण की वास्तविक शक्ति, संस्थागत संरचनाओं, सामाजिक बाधाओं तथा नीतिगत प्रभावशीलता का भी समालोचनात्मक मूल्यांकन करेगा। इस प्रकार यह शोध लोकतंत्र, सार्वजनिक प्रशासन तथा लैंगिक समानता के अंतर्संबंधों को समझने में महत्त्वपूर्ण योगदान देने का प्रयास करेगा।

4. सैद्धांतिक आधार एवं भारत में महिलाओं की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासकीय भागीदारी का संवैधानिक एवं संस्थागत आधार

4.1. प्रस्तावना
महिलाओं की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासकीय भागीदारी का अध्ययन केवल सांख्यिकीय प्रतिनिधित्व का विश्लेषण नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र, समानता, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार तथा सुशासन (Good Governance) की अवधारणाओं से गहराई से जुड़ा हुआ विषय है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के विभिन्न वर्गों को शासन एवं निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में किस सीमा तक वास्तविक भागीदारी प्राप्त है। यदि समाज की लगभग आधी जनसंख्या अर्थात् महिलाएँ निर्णय-निर्माण के प्रमुख मंचों से वंचित रहती हैं, तो लोकतंत्र का स्वरूप केवल औपचारिक (Formal Democracy) रह जाता है, जबकि वास्तविक लोकतंत्र (Substantive Democracy) स्थापित नहीं हो पाता।
महिलाओं की भागीदारी को समझने के लिए केवल संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन पर्याप्त नहीं है। यह आवश्यक है कि उन सैद्धांतिक दृष्टिकोणों का भी विश्लेषण किया जाए जो यह स्पष्ट करते हैं कि समान अधिकारों की संवैधानिक व्यवस्था होने के बावजूद महिलाओं का प्रतिनिधित्व सीमित क्यों बना रहता है। इसी उद्देश्य से इस अध्याय में उदार नारीवाद (Liberal Feminism), उग्र नारीवाद (Radical Feminism), प्रतिनिधित्व सिद्धांत (Theory of Representation), क्षमता दृष्टिकोण (Capability Approach), अंतर्संबंधिता (Intersectionality) तथा सुशासन के सिद्धांतों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इन सिद्धांतों के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं की वास्तविक भागीदारी किन सामाजिक, राजनीतिक तथा संस्थागत कारकों से प्रभावित होती है।

4.2. उदार नारीवाद
उदार नारीवाद महिलाओं की समानता का सबसे प्राचीन एवं प्रभावशाली सिद्धांत माना जाता है। इस विचारधारा का मूल आधार यह है कि महिलाएँ और पुरुष समान रूप से तर्कशील एवं सक्षम नागरिक हैं, अतः दोनों को समान अधिकार, समान अवसर तथा समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए।
उदार नारीवाद के अनुसार महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक पिछड़ापन उनकी जैविक भिन्नता का परिणाम नहीं है, बल्कि शिक्षा, कानून, सामाजिक संस्थाओं तथा अवसरों की असमान उपलब्धता का परिणाम है। यदि महिलाओं को समान शिक्षा, समान रोजगार, समान राजनीतिक अवसर तथा समान प्रशासनिक अवसर प्रदान किए जाएँ, तो वे पुरुषों के समान नेतृत्व एवं प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन कर सकती हैं।
भारतीय संविधान का समानता संबंधी ढाँचा मुख्यतः उदार नारीवाद की इसी अवधारणा को प्रतिबिंबित करता है। अनुच्छेद 14, 15 और 16 महिलाओं को समान अधिकार एवं अवसर प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक रोजगार, शिक्षा तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर की व्यवस्था भी इसी सिद्धांत पर आधारित है।
यद्यपि उदार नारीवाद महिलाओं के अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा पर बल देता है, तथापि इसकी आलोचना भी की जाती है। आलोचकों का मत है कि केवल कानूनी समानता पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि सामाजिक संरचनाएँ एवं सांस्कृतिक पूर्वाग्रह महिलाओं की वास्तविक भागीदारी को सीमित करते रहते हैं। इसलिए केवल संवैधानिक अधिकारों की उपलब्धता से वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं होता।

4.3. उग्र नारीवाद

उग्र नारीवाद का तर्क है कि महिलाओं की असमानता का मूल कारण पितृसत्तात्मक (Patriarchal) सामाजिक व्यवस्था है। यह विचारधारा मानती है कि समाज की अधिकांश राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक संस्थाएँ पुरुषों द्वारा निर्मित एवं नियंत्रित हैं। परिणामस्वरूप महिलाओं के लिए समान अवसर उपलब्ध होने के बावजूद निर्णय-निर्माण की वास्तविक शक्ति पुरुषों के हाथों में केंद्रित रहती है।

इस दृष्टिकोण के अनुसार संसद, राजनीतिक दल, प्रशासनिक संस्थाएँ, न्यायपालिका तथा अन्य शासकीय निकाय केवल औपचारिक रूप से समानता का समर्थन करते हैं, जबकि व्यवहार में नेतृत्व के अवसर पुरुषों को अधिक प्राप्त होते हैं। इसलिए केवल कानूनों में परिवर्तन पर्याप्त नहीं है; संस्थागत संस्कृति, सत्ता-संरचना तथा सामाजिक मानसिकता में भी परिवर्तन आवश्यक है।

भारतीय संदर्भ में यह सिद्धांत विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि अनेक महिला प्रतिनिधियों को निर्वाचित होने के बाद भी स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर नहीं मिलता। स्थानीय निकायों में कई स्थानों पर "सरपंच पति" जैसी प्रवृत्तियाँ इस संरचनात्मक समस्या को दर्शाती हैं।

4.4. प्रतिनिधित्व सिद्धांत

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मूल आधार प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व का अर्थ केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों की उपस्थिति नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के हितों, आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं का प्रभावी प्रतिनिधित्व भी है।

प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार महिलाओं की संख्या बढ़ाना आवश्यक है, परन्तु उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि उन्हें नीति-निर्माण, संसाधन वितरण तथा प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित करने की वास्तविक शक्ति प्राप्त हो।

महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है—

(1) वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व: इसका अर्थ है कि किसी संस्था में महिलाओं की संख्या कितनी है।

उदाहरण के लिए यदि संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है तो इसे वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व कहा जाएगा।

(2) सार्थक प्रतिनिधित्व: इसका अर्थ है कि महिलाएँ वास्तव में महिलाओं के हितों, सामाजिक न्याय तथा लैंगिक समानता से संबंधित नीतियों को किस सीमा तक प्रभावित कर रही हैं।

वर्तमान शोध का प्रमुख फोकस केवल वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि सार्थक प्रतिनिधित्व का विश्लेषण करना है।

4.5. क्षमता दृष्टिकोण

क्षमता दृष्टिकोण के अनुसार समान अवसर केवल कानूनी अधिकारों से सुनिश्चित नहीं होते। किसी व्यक्ति को वास्तविक अवसर तभी प्राप्त होते हैं जब उसके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक संसाधन, सामाजिक सुरक्षा, नेतृत्व क्षमता तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध हो।

महिलाओं की राजनीतिक एवं प्रशासनिक भागीदारी का विस्तार तभी संभव है जब—

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो।
- आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित हो।
- सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो।
- नेतृत्व प्रशिक्षण दिया जाए।
- राजनीतिक दल समान अवसर प्रदान करें।
- प्रशासनिक संस्थाओं में लैंगिक समानता को प्रोत्साहित किया जाए।

अतः केवल संवैधानिक अधिकार पर्याप्त नहीं हैं; महिलाओं की वास्तविक क्षमता (Capability) का विकास भी समान रूप से आवश्यक है।

4.6. अंतर्संबंधिता

आधुनिक महिला अध्ययन में अंतर्संबंधिता (Intersectionality) अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह सिद्धांत बताता है कि सभी महिलाओं की समस्याएँ समान नहीं होतीं।

ग्रामीण महिला, अनुसूचित जाति की महिला, अनुसूचित जनजाति की महिला, अल्पसंख्यक महिला तथा आर्थिक रूप से कमजोर महिला की चुनौतियाँ अलग-अलग होती हैं।

भारतीय संदर्भ में महिलाओं की राजनीतिक एवं प्रशासनिक भागीदारी का अध्ययन करते समय जाति, वर्ग, धर्म, भाषा, क्षेत्र तथा ग्रामीण-शहरी विभाजन जैसे कारकों को भी समान रूप से ध्यान में रखना आवश्यक है।

4.7. भारत में महिलाओं की राजनीतिक एवं प्रशासनिक भागीदारी का संवैधानिक आधार

भारतीय संविधान विश्व के सबसे प्रगतिशील संविधानों में से एक माना जाता है। संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को समान नागरिक अधिकार प्रदान करते हुए सामाजिक न्याय एवं लैंगिक समानता को लोकतांत्रिक शासन का मूल आधार बनाया।

महिलाओं के अधिकारों से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित हैं—

अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता तथा कानून के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 15(1): धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है।

अनुच्छेद 15(3): राज्य को महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की गारंटी देता है।

अनुच्छेद 39(a): महिलाओं एवं पुरुषों के लिए समान आजीविका के अवसर सुनिश्चित करने पर बल देता है।

अनुच्छेद 39(d): समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था का समर्थन करता है।

अनुच्छेद 42: कार्यस्थल पर मानवीय परिस्थितियों एवं मातृत्व सहायता का प्रावधान करने का निर्देश देता है।

अनुच्छेद 51A(e): प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करे।

4.8. पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी

भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 73वाँ एवं 74वाँ संविधान संशोधन माना जाता है।

इन संशोधनों द्वारा—

- पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम एक-तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया गया।
- नगर निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण सुनिश्चित किया गया।
- कई राज्यों ने महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया।

इन संशोधनों के परिणामस्वरूप लाखों महिलाएँ पहली बार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रत्यक्ष भाग बनीं। इससे स्थानीय

स्तर पर महिला नेतृत्व का विकास हुआ, सामाजिक भागीदारी बढ़ी तथा विकास योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं महिला कल्याण जैसे विषयों को अधिक प्राथमिकता मिली।
हालाँकि अनेक क्षेत्रों में प्रॉक्सी नेतृत्व, सीमित प्रशासनिक प्रशिक्षण, वित्तीय अधिकारों की कमी तथा सामाजिक दबाव जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं।

4.9. संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

भारतीय लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च विधायी संस्था है, किन्तु महिलाओं का प्रतिनिधित्व लंबे समय तक अपेक्षाकृत सीमित रहा है। पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि अवश्य हुई है, परंतु यह वृद्धि उनकी जनसंख्या के अनुपात में अभी भी पर्याप्त नहीं मानी जा सकती।
राजनीतिक दल महिलाओं को सीमित संख्या में टिकट प्रदान करते हैं। परिणामस्वरूप अनेक योग्य महिला नेता चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त नहीं कर पातीं। इसके अतिरिक्त चुनावी वित्त, राजनीतिक हिंसा तथा सामाजिक पूर्वाग्रह भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करते हैं।
इसी संदर्भ में संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से महिला आरक्षण संबंधी संवैधानिक पहल एक महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है। हालांकि, वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन उसके पूर्ण क्रियान्वयन के बाद ही संभव होगा।

5. भारत में महिलाओं की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासकीय भागीदारी: एक आलोचनात्मक विश्लेषण

5.1. प्रस्तावना

भारतीय लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शासन व्यवस्था में महिलाओं को कितनी प्रभावी भागीदारी प्राप्त है। लोकतंत्र का उद्देश्य केवल चुनाव कराना नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को नीति-निर्माण तथा प्रशासनिक निर्णयों में समान अवसर प्रदान करना भी है। भारत में महिलाओं को संवैधानिक समानता प्राप्त है तथा विभिन्न कानूनों एवं नीतियों के माध्यम से उनके राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया गया है। इसके बावजूद यह प्रश्न बना हुआ है कि क्या महिलाओं की वास्तविक भागीदारी संवैधानिक अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित हुई है।
महिलाओं की भागीदारी का मूल्यांकन केवल उनकी संख्या के आधार पर नहीं किया जा सकता। यह भी आवश्यक है कि यह देखा जाए कि वे निर्णय-निर्माण, नीति-निर्माण, संसाधनों के आवंटन तथा प्रशासनिक नेतृत्व में कितनी प्रभावी भूमिका निभा रही हैं। इस अध्याय में महिलाओं की भागीदारी का विश्लेषण संसद, विधानसभाओं, स्थानीय स्वशासन, प्रशासनिक सेवाओं, न्यायपालिका तथा अन्य शासकीय संस्थाओं के संदर्भ में किया गया है।

5.2. संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। संविधान ने महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से चुनाव लड़ने तथा प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है। इसके बावजूद स्वतंत्रता के पश्चात् कई दशकों तक संसद में महिलाओं की भागीदारी सीमित रही। प्रारम्भिक लोकसभाओं में महिला सांसदों की संख्या अत्यंत कम थी, जिससे स्पष्ट होता है कि संवैधानिक समानता स्वतः राजनीतिक समानता में परिवर्तित नहीं हुई।
पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की संसदीय भागीदारी में वृद्धि अवश्य हुई है। इसका कारण महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि, सामाजिक जागरूकता, महिला संगठनों की सक्रियता, मीडिया का प्रभाव तथा राजनीतिक दलों पर बढ़ता सार्वजनिक दबाव है। फिर भी संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में अभी भी कम है। अनेक लोकतांत्रिक देशों की तुलना में भारत की स्थिति में सुधार की आवश्यकता बनी हुई है।
राजनीतिक दलों द्वारा महिला उम्मीदवारों को सीमित संख्या में टिकट दिया जाना इस स्थिति का एक प्रमुख कारण है। चुनावी राजनीति में वित्तीय संसाधनों की कमी, चुनावी हिंसा, सामाजिक रूढ़ियाँ तथा परिवार और राजनीति के बीच संतुलन की कठिनाइयाँ भी महिलाओं की चुनावी भागीदारी को प्रभावित करती हैं।
संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ने के बावजूद मंत्रिमंडल, संसदीय समितियों तथा महत्त्वपूर्ण निर्णयकारी पदों पर उनका प्रतिनिधित्व अभी भी अपेक्षाकृत सीमित है। इससे स्पष्ट होता है कि वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है, किंतु सार्थक (Substantive) प्रतिनिधित्व की दिशा में अभी भी पर्याप्त प्रगति अपेक्षित है।

5.3. राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी

राज्य विधानसभाएँ भारतीय संघीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं। यहाँ भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व लंबे समय तक अत्यंत सीमित रहा है। अनेक राज्यों में महिला विधायकों का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से भी कम है। यह स्थिति दर्शाती है कि राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में महिलाओं को पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाते।
राज्य स्तर की राजनीति में महिलाओं के समक्ष अनेक अतिरिक्त चुनौतियाँ उपस्थित होती हैं, जैसे स्थानीय सत्ता-संरचनाएँ, राजनीतिक हिंसा, जातीय एवं क्षेत्रीय समीकरण, चुनावी संसाधनों की कमी तथा संगठनात्मक समर्थन का अभाव। इन कारणों से अनेक योग्य महिलाएँ चुनावी राजनीति में प्रवेश नहीं कर पातीं।
यद्यपि कुछ राज्यों में महिला नेतृत्व ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, परन्तु इन व्यक्तिगत सफलताओं को व्यापक लैंगिक समानता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी अभी भी लोकतांत्रिक सुधार का एक महत्त्वपूर्ण एजेंडा बनी हुई है।

5.4. पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी

73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों के बाद स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी भारतीय लोकतंत्र की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। आरक्षण व्यवस्था के माध्यम से लाखों महिलाओं को पहली बार निर्वाचित प्रतिनिधि बनने का अवसर प्राप्त हुआ।
स्थानीय निकायों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अनेक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि महिला प्रतिनिधियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, पोषण, महिला सुरक्षा तथा सामाजिक कल्याण से जुड़े विषयों को अधिक प्राथमिकता दी। इससे स्थानीय शासन अधिक समावेशी तथा जनोन्मुखी बना।
हालाँकि, स्थानीय स्तर पर कुछ गंभीर चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। अनेक क्षेत्रों में "प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व" की समस्या देखी गई है, जहाँ निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के स्थान पर उसका पति या परिवार का अन्य पुरुष सदस्य वास्तविक निर्णय लेता है। इस स्थिति को सामान्यतः "सरपंच पति" की प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है।
इसके अतिरिक्त प्रशासनिक प्रशिक्षण का अभाव, वित्तीय अधिकारों की सीमाएँ, तकनीकी जानकारी की कमी तथा सामाजिक दबाव भी महिला प्रतिनिधियों की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। अतः केवल आरक्षण पर्याप्त नहीं है; संस्थागत क्षमता निर्माण भी आवश्यक है।

5.5. भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS),

भारतीय विदेश सेवा (IFS) तथा अन्य अखिल भारतीय सेवाएँ शासन व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं। पिछले तीन दशकों में इन सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में महिलाओं का प्रदर्शन निरंतर बेहतर हुआ है तथा अनेक महिलाएँ सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर रही हैं।

इसके बावजूद उच्च प्रशासनिक नेतृत्व में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी सीमित है। सचिव स्तर, विभागाध्यक्षों तथा नीति-निर्माण से जुड़े शीर्ष पदों पर पुरुष अधिकारियों की संख्या अधिक है। यह स्थिति तथाकथित "ग्लास सीलिंग" (Glass Ceiling) की अवधारणा को पुष्ट करती है, जिसके अनुसार औपचारिक समानता के बावजूद संस्थागत संरचनाएँ महिलाओं की उन्नति को सीमित करती हैं।

प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं को कार्य-जीवन संतुलन, बार-बार स्थानांतरण, पारिवारिक उत्तरदायित्व, सुरक्षा संबंधी चुनौतियों तथा लैंगिक पूर्वाग्रह जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का प्रभाव उनके कैरियर विकास तथा नेतृत्व के अवसरों पर पड़ता है।

5.6. न्यायपालिका एवं अन्य शासकीय संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी

भारतीय न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है। निचली न्यायपालिका में महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, किन्तु उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में उनका प्रतिनिधित्व अभी भी अपेक्षाकृत कम है। इससे स्पष्ट होता है कि न्यायिक नेतृत्व में भी लैंगिक असमानता बनी हुई है।

इसी प्रकार विश्वविद्यालयों, नियामक आयोगों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त संस्थाओं तथा अन्य शासकीय निकायों के शीर्ष पदों पर भी महिलाओं की भागीदारी सीमित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नियुक्ति-आधारित संस्थाओं में भी लैंगिक समानता अभी पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो सकी है।

5.7. महिलाओं की भागीदारी में प्रमुख बाधाएँ

महिलाओं की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासकीय भागीदारी को प्रभावित करने वाली प्रमुख बाधाएँ निम्नलिखित हैं—

i). पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना।
ii). राजनीतिक दलों द्वारा सीमित टिकट वितरण।
iii). चुनावी वित्त एवं संसाधनों की कमी।
iv). घरेलू एवं पारिवारिक उत्तरदायित्व।
v). कार्यस्थल पर लैंगिक पूर्वाग्रह।
vi). नेतृत्व प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन का अभाव।
vii). राजनीतिक हिंसा एवं सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ।
viii). उच्च पदों पर पदोन्नति में संरचनात्मक अवरोध (Glass Ceiling)।
ix). निर्णय-निर्माण की पुरुष-प्रधान संस्थागत संस्कृति।
x). ग्रामीण एवं वंचित वर्गों की महिलाओं के लिए बहुस्तरीय सामाजिक बाधाएँ।

5.8. आलोचनात्मक विश्लेषण

महिलाओं की भागीदारी के संबंध में सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या केवल संख्या में वृद्धि को वास्तविक सशक्तिकरण माना जा सकता है। इस शोध का विश्लेषण स्पष्ट करता है कि उत्तर नहीं है।

यदि किसी संस्था में महिलाओं की संख्या बढ़ भी जाए, लेकिन नीति-निर्माण, संसाधन आवंटन और नेतृत्व पर उनका प्रभाव सीमित रहे, तो इसे वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार यदि महिला प्रतिनिधि स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम न हो या संस्थागत संरचनाएँ उसके निर्णयों को प्रभावित करती रहें, तो लोकतांत्रिक समानता केवल औपचारिक रह जाती है।

भारतीय लोकतंत्र ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, विशेषकर स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में। किंतु संसद, विधानसभाओं, उच्च प्रशासनिक सेवाओं तथा शीर्ष निर्णयकारी संस्थाओं में अभी भी व्यापक सुधार की आवश्यकता है। राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्रीकरण, नेतृत्व विकास, लैंगिक संवेदनशील प्रशासनिक सुधार तथा सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन के बिना वास्तविक समानता प्राप्त करना कठिन होगा।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत में महिलाओं की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासकीय भागीदारी का स्वरूप संक्रमणकालीन (Transitional) है। संवैधानिक समानता ने अवसरों का द्वार अवश्य खोला है, परंतु वास्तविक प्रतिनिधित्व की दिशा में अभी भी लंबा मार्ग शेष है

6. निष्कर्ष, प्रमुख निष्कर्ष, नीतिगत सुझाव एवं संदर्भ

6.1. निष्कर्ष

भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार समानता, स्वतंत्रता, न्याय तथा सहभागितापूर्ण शासन है। संविधान ने महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार प्रदान करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का समान भागीदार माना है। स्वतंत्रता के पश्चात् महिलाओं की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासकीय भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक संवैधानिक संशोधन, विधायी प्रावधान, नीतिगत कार्यक्रम तथा संस्थागत सुधार किए गए। विशेष रूप से 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों ने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को नई दिशा प्रदान की तथा लाखों महिलाओं को पहली बार लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिला।

इसके बावजूद इस शोध का समग्र विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि संवैधानिक समानता और वास्तविक प्रतिनिधित्व के मध्य अभी भी उल्लेखनीय अंतर विद्यमान है। संसद, राज्य विधानसभाओं, मंत्रिमंडलों, उच्च प्रशासनिक सेवाओं, न्यायपालिका, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य निर्णयकारी संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में अभी भी सीमित है। जहाँ महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई भी है, वहाँ अनेक मामलों में उन्हें वास्तविक निर्णय-निर्माण की शक्ति प्राप्त नहीं हो पाई है। इस प्रकार प्रतिनिधित्व का स्वरूप कई बार सांकेतिक (Tokenistic) बनकर रह जाता है।

शोध से यह भी स्पष्ट हुआ कि महिलाओं की सीमित भागीदारी केवल व्यक्तिगत क्षमता का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा संस्थागत कारकों का संयुक्त परिणाम है। पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, राजनीतिक दलों की आंतरिक कार्यप्रणाली, चुनावी वित्तपोषण, घरेलू उत्तरदायित्व, कार्यस्थल पर लैंगिक पूर्वाग्रह, नेतृत्व विकास के सीमित अवसर तथा उच्च प्रशासनिक पदों पर "ग्लास सीलिंग" जैसी बाधाएँ महिलाओं की उन्नति को प्रभावित करती हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तथा सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की महिलाओं को बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

इस अध्ययन का एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष यह भी है कि केवल आरक्षण या संवैधानिक प्रावधान महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यदि महिलाओं को निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं, संसाधनों के आवंटन, नीति-निर्माण तथा संस्थागत नेतृत्व में प्रभावी भूमिका प्राप्त नहीं होती, तो लोकतांत्रिक समानता अधूरी रह जाती है। इसलिए महिलाओं के सशक्तिकरण को केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्व तक सीमित न रखकर गुणात्मक (Qualitative) एवं प्रभावकारी (Substantive) प्रतिनिधित्व के रूप में विकसित करना आवश्यक है।

वर्तमान अध्ययन यह भी स्थापित करता है कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी केवल लैंगिक समानता का प्रश्न नहीं है, बल्कि सुशासन (Good Governance), उत्तरदायित्व (Accountability), समावेशी

विकास (Inclusive Development) तथा लोकतंत्र की गुणवत्ता से भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। जिन संस्थाओं में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी होती है, वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, पोषण, पर्यावरण संरक्षण तथा जनकल्याण से जुड़े मुद्दों को अपेक्षाकृत अधिक प्राथमिकता मिलती है। इसलिए महिलाओं का वास्तविक प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक शासन की प्रभावशीलता को भी सुदृढ़ करता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि भारत ने महिलाओं की राजनीतिक एवं प्रशासनिक भागीदारी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, किन्तु वास्तविक समानता की यात्रा अभी अधूरी है। भविष्य की लोकतांत्रिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि महिलाओं को केवल प्रतिनिधित्व ही नहीं, बल्कि निर्णय-निर्माण की वास्तविक शक्ति, संस्थागत नेतृत्व तथा नीति-निर्माण में प्रभावी भूमिका किस सीमा तक प्रदान की जाती है।

6.2. प्रमुख निष्कर्ष

इस अध्ययन से निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष प्राप्त हुए—

i). भारतीय संविधान महिलाओं को समान राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकार प्रदान करता है, परन्तु व्यवहारिक स्तर पर समानता पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो सकी है।

ii). स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, किन्तु संसद एवं विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व अभी भी सीमित है।

iii). राजनीतिक दल महिलाओं को अपेक्षित संख्या में चुनावी टिकट प्रदान नहीं करते, जिसके कारण उनका संसदीय प्रतिनिधित्व सीमित रहता है।

iv). प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है, परन्तु वरिष्ठ नेतृत्व पदों पर उनका प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है।

v). न्यायपालिका, विश्वविद्यालयों, आयोगों तथा अन्य शासकीय संस्थाओं में भी महिलाओं का शीर्ष नेतृत्व सीमित है।

vi). महिलाओं की भागीदारी को पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक असमानता, राजनीतिक संसाधनों की कमी तथा संस्थागत पूर्वाग्रह प्रभावित करते हैं।

vii). केवल आरक्षण से वास्तविक सशक्तिकरण सुनिश्चित नहीं होता; नेतृत्व विकास, प्रशिक्षण, संसाधनों तक पहुँच और संस्थागत समर्थन भी आवश्यक हैं।

viii). महिलाओं की प्रभावी भागीदारी से शासन अधिक समावेशी, उत्तरदायी तथा जनोन्मुखी बनता है।

ix). लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ने के साथ-साथ निर्णय-निर्माण की शक्ति का विकेंद्रीकरण भी आवश्यक है।

x). भारत में महिलाओं की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासकीय भागीदारी संक्रमणकालीन अवस्था में है, जहाँ संवैधानिक समानता और वास्तविक प्रतिनिधित्व के बीच अभी भी महत्वपूर्ण अंतर विद्यमान है।

6.3. नीतिगत सुझाव

महिलाओं की वास्तविक एवं प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं—

i). राजनीतिक दलों में आंतरिक लैंगिक सुधार: राजनीतिक दलों के संविधान एवं संगठनात्मक संरचना में महिलाओं के लिए न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उम्मीदवार चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं लैंगिक संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

ii). नेतृत्व विकास कार्यक्रम: महिलाओं के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर नियमित नेतृत्व प्रशिक्षण, नीति-निर्माण प्रशिक्षण तथा प्रशासनिक क्षमता विकास कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए।

iii). आर्थिक सहायता एवं चुनावी वित्त: महिला उम्मीदवारों के लिए चुनावी वित्तपोषण की विशेष व्यवस्था तथा अभियान प्रबंधन संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

iv). प्रशासनिक सेवाओं में समान अवसर: वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं लैंगिक समानता पर आधारित बनाया जाना चाहिए। कार्यस्थलों पर लैंगिक संवेदनशील वातावरण विकसित किया जाना चाहिए।

v). सुरक्षित कार्यस्थल: राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्थाओं में महिलाओं की सुरक्षा, यौन उत्पीड़न की रोकथाम तथा प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए।

vi). सामाजिक जागरूकता: महिलाओं के नेतृत्व के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु शिक्षा, मीडिया तथा नागरिक समाज की भूमिका को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

vii). डिजिटल एवं तकनीकी सशक्तिकरण: महिलाओं को डिजिटल प्रशासन, ई-गवर्नेंस तथा आधुनिक तकनीकी उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे प्रशासनिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें।

viii). अनुसंधान एवं आँकड़ा प्रणाली: महिलाओं की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासकीय भागीदारी से संबंधित नियमित एवं विश्वसनीय आँकड़ों का संग्रह तथा सार्वजनिक प्रकाशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

6.4. अध्ययन की सीमाएँ

i). यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है।

ii). अध्ययन का प्रमुख फोकस भारतीय संदर्भ तक सीमित है।

iii). प्राथमिक क्षेत्रीय सर्वेक्षण (Field Survey) इस शोध में सम्मिलित नहीं किया गया है।

iv). कुछ संस्थागत आँकड़ों में समय-समय पर परिवर्तन संभव है।

References

1. Agarwal B. *Gender and Green Governance*. Oxford University Press; 2010.
2. Dahlerup D. *Women, Quotas and Politics*. Routledge; 2006.
3. Pitkin HF. *The Concept of Representation*. University of California Press; 1967.
4. Phillips A. *The Politics of Presence*. Oxford University Press; 1995.
5. Nussbaum MC. *Women and Human Development*. Cambridge University Press; 2000.
6. Sen A. *Development as Freedom*. Oxford University Press; 1999.
7. UN Women. *Progress on the Sustainable Development Goals: Gender Snapshot*; 2024.
8. Inter-Parliamentary Union. *Women in Parliament Report*; 2024.
9. Election Commission of India. *Statistical Reports on General Elections*.
10. Ministry of Women and Child Development. *Annual Report*.